प्रेसनोट

पिथौरागढ़–10.09.13(सूवि),

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ओम कुमार ने सूचित किया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान एवं जिला जज की अध्यक्षता में 28 सितम्बर को जिला मुख्यालय के साथ तहसील मुख्यालयों में भी मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि लोक अदालत में लंबित दीवानी, फौजदारी, राजस्व, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, भरण–पोषण, पारिवारिक विवादों सहित लघु आपराधिक वादों आदि का निस्तारण सुलह–समझौते एवं स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा।

उन्होंने कहा है कि मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों में सुलह–समझौते के प्रयास हेतु विचार विमर्श करने के लिए 21 सितम्बर को समय अपरान्ह में जिला न्यायालय के सभाकक्ष में प्रारम्भिक बैठक का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने वादकारियों को अपने मामलों के निस्तारण हेतु संबंधित न्यायालयों से संपर्क स्थापित करने को कहा है।

पिथौरागढ़–10.09.13(सूवि),

आधुनिक भारत के निर्माता के सपनों को साकार कर, उनके बताए रास्ते पर चलने से ही भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हो सकता है। उक्त बात आज भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त की 126 वीं जयन्ती के अवसर पर नगरपालिका सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में बोलते हुए उप जिलाधिकारी नरेश दुर्गापाल ने कही। उन्होंने कहा कि पं.गाविन्द बल्लभ पंत शालीनता, गंभीरता की मूर्ति के साथ धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे और उनके सपनों को साकार करने का यह सही वक्त है। उन्होंने कहा कि वे सच्चे युगदृष्टा थे, उनकी उपलब्धियां चतुर्दिव थी, वह राजनीति में कुशाग्रा, प्रशासन में कारगर और संसद में प्रतिभाशाली थे। उन्होंने उपस्थितजनों से उनके व्यक्तित्व से सीख लेकर, उनके आदर्शो पर चलने का संकल्प लेने का आहवान किया।

इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती ने कहा कि 1937 से 1939 तक संयुक्त प्रान्त के प्रधानमंत्री और 1946 से 1954 तक अविभाजित उ.प्र. के मुख्यमंत्री तथा 1955 से 1961 तक भारत सरकार में गृहमंत्री रहे पंडित पन्त बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कहा कि उनमें हिमालय जैसी शांति और चट्टान की तरह अडिग रहने की शक्ति थी और सच्चे रूप में जनता के पथ प्रदर्शक थे। उपस्थित लक्ष्मण सिंह बसेड़ा एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित संगठन के अध्यक्ष के.डी.भट्ट ने कहा कि पंतजी ने अपनी मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम के कारण ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कमीशन के बहिष्कार में जुलूस निकाला और पुलिस के क्रुर लाठी आधातों का सामना किया और अपने राजनैतिक जीवन में अनेक कष्टों को सहा वे सच्चे रूप में आधुनिक भारत के निर्माता थे जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र है।

जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार टम्टा एवं अन्य वक्ताओं ने कहा कि पंत जी ने अल्प समय में ही हरिजन उद्धार, अस्पृश्यता निवारण आदि सुधारों के कार्य किये। पंडित पन्त जी नमक सत्याग्रह आंदोलन के सिलसिले में 1930 में और असहयोग आन्दोलन में 1932 में गिरफ्तार हुए और उन्हें कई महिनों की सजा दी गई। वक्ताओं ने कहा कि भारत रत्न पंडित

पन्त जी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में देश के महान नायक, महान राजनीतिक नेता, हिमालय की चोटी का सुपुत्र थे, जिनमें शांति, गंभीरता, चट्टान जैसी स्थिरता के साथ वे जन–मानस का प्रकाश स्तम्भ और सच्चे मार्ग दर्शक थे। उन्होंने कहा कि उनकी देश के प्रति पूर्ण समर्पण, जनता–जनार्दन की सेवा में अविचलित योगदान और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्णनिष्ठा की उन्हें अग्रणी देशभक्तों की कतार में खड़ा करती है।

उससे पूर्व स्कूली बच्चों द्वारा प्रातः 9 बजे स्थानीय रामलीला मैदान से सिमलगैर, गांधी चौक, घंटाकरण होते हुए नगरपालिका चौक तक प्रभातफेरी निकाली, नगरपालिका में बच्चों फल वितरण किया गया। प्रातः 10 बजे सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में पंत जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। जिलाधिकारी डा.नीरज खैरवाल, मुख्य विकास अधिकारी डा. आनन्द श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी बीएल राणा, उप जिलाधिकारी नरेश दुर्गापाल सहित गणमान्य नागरिकों, ने घंटाकरण स्थिति पंत जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। घंटाकरण स्थित पंत जी की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद सभी कार्यक्रम नगरपालिका सभागार में हुए।

नगरपालिका सभागार में ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं सावित्री चन्द पत्नी खड़क चन्द टकाना, गांगुली देवी पत्नी श्याम सिंह विण, मोहनी देवी पत्नी गंगादत्त नयाबाजार, श्रीमती मीना गुरंग पत्नी रामसिंह गुरंग को नगरपालिका अध्यक्ष एवं उपजिलाधिकारी द्वारा शाल भेंट कर सम्मानित करने के साथ भाषण, पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं द्वारा देशभक्ति से संबंधित मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी के.के. वार्ष्णेय, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका खीमा नन्द जोशी, प्रभारी संग्रहालय दुर्गादत्त जोशी, तहसीलदार एमएस नयाल, सभी सभासद, अधिकारी, कर्मचारी, आम नागरिक, स्कूली बच्चे आदि उपस्थित थे।

पिथौरागढ़–10.09.13(सूवि),

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश–2013 के क्रियान्वयन हेतु नगरपालिका परिषद पिथौरागढ़, नगर पंचायत डीडीहाट व गंगोलीहाट सहित ग्राम पंचायतों हेतु नियुक्त कार्मिकों ने ग्रामसभा की खुली बैठक में प्राथमिक परिवारों का 8 सितम्बर तक चयन कर विभिन्न क्षेत्रों हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसे पर्यवेक्षकों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के नोडल अधिकारी, जिला विकास अधिकारी एस.एम.डोभाल को चयन रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित सौंपी है।

योजना के नोडल अधिकारी, जिला विकास अधिकारी एसएम डोभाल ने अवगत कराया है कि योजना के लाभार्थी चयन में नियुक्त कार्मिकों द्वारा पूरी पारदर्शिता बरती गई है। उन्होंने कहा है कि उक्त योजना के अन्तर्गत किसी भी सहायता, शिकायत, सुझाव आदि होने पर उक्त योजना के अन्तर्गत विकास भवन में स्थापित टौल फ्री नम्बर 18001804124 या नोडल अधिकारी के मोबाइल नं. 9410134318 या जिला पूर्ति अधिकारी के मोबाइल नं. 9415255422 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

उन्होंने अवगत कराया है कि इस योजना में राशनकार्ड 18 वर्ष से ऊपर की वरिष्ठतम महिला के नाम बनाये जाने के साथ वर्तमान में समस्त अन्त्योदय व बीपीएल राशनकार्ड धारक पात्र माने जायेंगे। उन्होंने कहा है कि आदिम आदिवासी तथा सीमान्त

क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी परिवार, ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा या अकेली महिला कर रही हों तथा उनकी मासिक आय 15 हजार मासिक से कम हो पात्रता की श्रेणी में होंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसा परिवार जिसका संचालक या मुखिया असाध्य रोगों (कुष्ठ, एचआईवी) से पीड़ित व्यक्ति हो और परिवार की आय 15 हजार मासिक से कम हो। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवार भी पात्रता की श्रेणी में होंगे जिसका मुखिया विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति कर रहा हो और मासिक आय 15 हजार से कम हो साथ ही ऐसा परिवार की पात्रता की श्रेणी में होगा जिसका मुखिया 60 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर चुका हो और मासिक आय 15 हजार से कम हो।

नोडल अधिकारी ने बताया कि ऐसा परिवार भी पात्र होगा जिसके पास राजस्व अभिलेखों में दर्ज सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हो अथवा एक हेक्टेयर सिंचित तथा 2 हेक्टेयर असिंचित से कम हो अथवा कुल क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर असिंचित भूमि से कम हो। उन्होंने कहा है कि रिक्शाचालक, कुली, मजदूर, कूड़ा बिनने वाले, मोची, लोहार, बढ़ई, ग्रामीण दस्तकार, घरों में काम करने वाले सेवक/सेविका, सफाई कर्मी भी इस योजना से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसे सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारी जिनकी मासिक आय 15 हजार से अधिक न हो साथ ही राज्य में ऐसे संचालित संगठन अथवा आश्रम में निवासित ऐसे व्यक्ति जो बेघर हों तथा सामाजिक वर्ग से पृथक होकर उक्त संगठन या आश्रम में रहकर जीवन यापन करते हों, जिनमें विधवा आश्रम, बाल/महिला सुधार गृह, भिक्षुक गृह, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, मानसिक रोगों से विक्षिप्तों का आश्रम, विकलांगों का आश्रम एवं वृद्धाश्रम भी इस योजना से लाभान्वित होंगे। उन्होंने इस योजना के अन्तर्गत आने वाले पात्र लोगों से योजना का लाभ उठाने और किसी भी समस्या के समाधान हेतु टौल फ्री नम्बर 18001804124 या उनके मोबाइल 9410134318 या जिला पूर्ति अधिकारी के मोबाइल 9415255422 पर सम्पर्क करने की अपील की है।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।